

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद कासगंज तहसील कासगंज में जनपद मुख्यालय एटा (एन0एच0-91 कि0मी0 202) से एटा कासगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) एवं बरेली मथुरा मार्ग (राज्य मार्ग-33) का कासगंज जिला मुख्यालय तक चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य जनपद कासगंज में एटा कासगंज मार्ग के किमी0 21 से 24.300 तक तथा बरेली मथुरा मार्ग के किमी0 145 से 162.50 तक प्रस्तावित मार्ग के निर्माण हेतु 24.008 है0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग में हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा व वर्तमान मूल्य (NPV) से दर मूल्य में वृद्धि होने पर बढी हुयी धनराशि का भुगतान प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कासगंज द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा।

0/8

h

प्रभागीय वनधिकारी
कासगंज वन प्रभाग
कासगंज

(सी0पी0 सिंह)

अधिशारी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 कासगंज।